संख्या. 5–46/2015/डीडी–I
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पर्यावरण भवन,सीजीओ कांपलैक्स, नई दिल्ली–110003
दिनांक : 18 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता की योजना – अस्थि विकलांगों के लिये मेडिकल और करेक्टिव सर्जरियों की दरों में संशोधन–बावत।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता की योजना 01.04.2014 से संशोधित की गई है।

2. संशोधित योजना के पैरा 4.01 के अनुसार यंत्रों और उपकरणों की फिटमेंट से पूर्व अनिवार्य मेडिकल/सर्जिकल करेक्शन और इंटरवैंशन हेतु लागत प्रतिमान निम्नलिखित प्रतिमानों के अनुसार होंगे:

(i) श्रवण और वाणी बाधितों के लिये 1,000/– रूपये
(ii) दृष्टि बाधितों के लिये 2,000/– रूपये
(iii) अस्थि विकलांगों के लिये 5,000/– रूपये

3. मंत्रालय द्वारा यह महसूस किया गया कि चूंकि उपर्युक्त दरे अंतर्निहित वास्तविक लागत की तुलना में बहुत कम हैं। तदनुसार विभाग के अधीन विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के विचार/सुझाव आमंत्रित किये गये थे जिन पर 21. 03.2016 को सचिव (दिव्यांगज सशक्तिकरण विभाग) द्वारा ली गई विशेषज्ञ समिति की बैठक में चर्चा की गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अस्थि विकलांगों की मेडिकल और करेक्टिव सर्जरियों की दरें वित्तीय अंतर्निहितओं के मद्देनजर एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से वर्तमान 5,000/– रूपये से 10,000/– रूपये कर दी जायें।

4. श्रवण और वाणी बाधित और दृष्टि बाधित के मामले में मेडिकल और करेक्टिव सर्जरियों की दरों में संशोधन के संबंध में अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, मंबई और राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, देहरादून से ठोस प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद विशेषज्ञ समिति की अगली बैठक में चर्चा की जायेगी।

5. सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से और मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से अब यह सूचित किया जाता है कि अस्थि **विकलांगों हेतु मेडिकल और करेक्टिव सर्जरियों की दरें तत्काल प्रभाव 5,000/- रूपये से 10,000/- रूपये संशोधित की जाती हैं।**

6. एडिप योजना की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से अनुरोध है कि वे सूचनार्थ और उचित कार्रवाई हेतु देखें।

अनुलग्नक : यथोपरि

(एस.के.मेहता)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. – 011–24369027
ई–मेल : **mahto.skm@gmail.com**

1. प्रधान सचिव/सचिव, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण/ सामाजिक न्याय विभाग
2. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां

प्रतिलिपि:

1. माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव
2. माननीय राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव
3. सचिव, (दिव्यांजन सशक्तिकरण विभाग) के प्रधान निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव, (एम.के.ए.) (दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग) के निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग) के निजी सचिव